

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 16 जनवरी, 2024

आप.वि.मा. 375/2024

पैरोकर/अभिभावक के माध्यम से कुणाल कश्यप,याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री माधव खुराना एवं श्री विग्नराज
पसायत, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यप्रत्यर्थी
द्वारा : श्री युद्धवीर सिंह चौहान, अति.लो.अभि.
राज्य की ओर से सह उप.नि. प्रिंस कुमार,
थाना हौज खास

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री ज्योति सिंह

निर्णय

ज्योति सिंह, न्या. (मौखिक)

आप.वि.आ. 1466/2024 (छूट)

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन
स्वीकृत किया जाता है।
2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

आप.वि.मा. 375/2024 व आप.वि.आ. 1465/2024 (रोक हेतु)

3. यह याचिका याचिकाकर्ता की ओर से सि.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर की गई है जिसमें आप.अ 256/2019 शीर्षक 'कुणाल कश्यप बनाम राज्य', में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.01.2024 के आक्षेपित आदेश को चुनौती इस आधार दी गयी है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 18.01.2024 को दंडादेश हेतु, क्रमशः पहले अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 ('अधिनियम 1958' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 सह पठित धारा 4 तथा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 ('अधिनियम 2017' के रूप में संदर्भित) याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों पर निर्णय लिए बिना मामला तय किया गया था सत्र न्यायालय से निर्देश की मांग की गई है कि वह याचिकाकर्ता के मामले को अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा अधिकारी को संदर्भित करे तथा एक रिपोर्ट के साथ-साथ दंडादेश पारित करने से पूर्व अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत मामले को मेडिकल बोर्ड को संदर्भित करे।
4. नोटिस जारी करें।
5. विद्वान अति.लो.अभि. राज्य की ओर से नोटिस को स्वीकार करता है।
6. वर्तमान याचिका की उत्पत्ति एक प्राथमिकी सं. 355/2012 से हुई है जो दिनांक 02.12.2012 को थाना हौज खास में भा.दं.सं. की धारा 279/337 के तहत दर्ज की गई थी। भा.दं.सं. की धारा 279/337/304क के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध विद्वान महानगर दंडाधिकारी दक्षिण जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 11.04.2013 को

आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दिनांक 25.11.2014 को, महानगर दंडाधिकारी ने उपरोक्त अपराध कारित करने हेतु दं.प्र.सं. की धारा 251 के तहत नोटिस तैयार किया तथा याचिकाकर्ता ने 'दोषी नहीं' होने का अभिवाक् किया एवं विचारण का दावा किया।

7. दिनांक 24.04.2019 के निर्णय से, याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 279/337/304क के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया गया था। दिनांक 03.06.2019 को, दंडादेश पारित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 304क के तहत दंडनीय अपराध हेतु दो साल के कठोर कारावास; भा.दं.सं. की धारा 337 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने का साधारण कारावास तथा भा.दं.सं.की धारा 279 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.04.2019 के निर्णय तथा दिनांक 03.06.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2019 को अपील दायर की। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 05.12.2023 को खारिज कर दिया था, जिसमें विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा गया था। उसी दिन, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 4 तथा अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत दायर दो आवेदनों को अभिलेख पर लिया गया एवं मामले को दिनांक 15.12.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 15.12.2023 को दोनों आवेदनों पर आंशिक दलीलों को सुना गया तथा मामले

को दंडादेश पर आगे की बहस/विचार के लिए दिनांक 05.01.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 05.01.2024 को, मामले को स्थगित कर दिया गया और दिनांक 18.01.2024 को दंडादेश हेतु सूचीबद्ध किया गया, यह दर्ज करने के बाद कि लंबित आवेदनों पर दोषी की ओर से आगे की दलीलें सुनी गईं तथा राज्य की ओर से कोई तर्क नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी दोपहर के भोजन के बाद राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

8. याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2024 के आक्षेपित आदेश के दोहरे आधार पर चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री माधव खुराना ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मनोविदलता, अवसाद, मनोविकृति, उन्माद एवं मतिभ्रम से पीड़ित है, जिसका वह वर्ष 2015 से आज तक इलाज करवा रहा है। बीमारियों ने उन्हें अपनी बहन की सहायता के बिना अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में असमर्थ बना दिया है, जो उनकी अभिभावक हैं तथा वर्ष 2015 से उनकी देखभाल कर रही हैं। उपरोक्त बीमारियां अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(ध) के तहत परिभाषित 'मानसिक रूग्णता' की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं तथा इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 105 के जनादेश के अनुसार, याचिकाकर्ता के मामले को न्यायालय द्वारा संबंधित बोर्ड को उसकी राय हेतु आगे की जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था, जिस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

जिन बीमारियों से याचिकाकर्ता पीड़ित है, वे उसकी सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति को क्षीण करती हैं, साथ ही जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता भी कम करती हैं तथा इसलिए, यदि दंडादेश पारित किया जाता है तथा याचिकाकर्ता को उसकी मानसिक स्थिति के आकलन के बिना सक्षम बोर्ड कैद किया जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ जाएगी तथा यह अधिनियम 2017 के व्यक्त प्रावधानों और भावना के विपरीत होगा। **अंकुर एबॉट बनाम एकता एबॉट, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 4074**, इसमें न्यायालय ने धारा 105 के जनादेश एवं मजिस्ट्रेटों आदि सहित विभिन्न एजेंसियों पर इसके दायित्वों पर प्रकाश डाला है तथा इसपर जोर दिया है।

9. दूसरा विवाद अधिनियम 1958 की धारा 4 पर आधारित है। यह आग्रह किया जाता है कि यह प्रावधान न्यायालय को उन अपराधों के लिए परिवीक्षा पर व्यक्तियों को रिहा करने की शक्ति प्रदान करता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं तथा वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 279/337/304क के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनमें से कोई भी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं तथा अधिकतम दंड जो दिया जा सकता है वह दो साल का कारावास है, याचिकाकर्ता परिवीक्षा पर रिहा होने के लिए पात्र है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **दि.न.नि. बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2005) 4 एससीसी 605**, पर भरोसा किया गया है। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 4 सभी

प्रकार के अपराधियों पर लागू होती है, चाहे वह 21 वर्ष से कम या उससे अधिक आयु के हों तथा प्रावधान का उद्देश्य अपराधी को उसके अपराध की सामान्य सजा देने के बजाय उसके संभावित सुधार का प्रयास करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस प्रावधान के लाभ का विस्तार करते समय, न्यायालय के विवेक का प्रयोग उन परिस्थितियों जिनमें अपराध किया गया था, अपराधी की आयु, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में किया जाना चाहिए तथा इस अभ्यास के लिए जिम्मेदारी की भावना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त के लिए बाध्य है, लेकिन न्यायालय रिपोर्ट से बाध्य नहीं है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान सत्र न्यायालय को दंड पारित करने के लिये दिनांक 18.01.2024 को मामले को सूचीबद्ध करने से पहले धारा 4 के तहत परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए थी। संक्षेप में, याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत बोर्ड से रिपोर्ट और अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगना, एक पूर्ववर्ती प्रतिबंध है, इससे पहले कि न्यायालय दंडादेश पारित करने के लिए आगे बढ़े तथा इसलिए, सत्र न्यायालय को दंडादेश को स्थगित करने एवं पहले याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

10. राज्य की ओर से विद्वान अति.लो.अभि., *समानांतर स्तंभ में*, ने दलील दी है कि जहां तक अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत आवेदन का संबंध है,

यह 1958 में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर गलत है। **दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 5 एससीसी 82**, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सरपट बढ़ती प्रवृत्ति एवं पीड़ितों और उनके परिवारों पर आने वाले विनाशकारी परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 304क के तहत अपराध की प्रकृति को अधिनियम 1958 की धारा 4 के उदार प्रावधानों को आकर्षण के रूप में नहीं मान सकते हैं तथा वाहनों के तेज या लापरवाही से ड्राइविंग से मृत्यु के अपराध के लिए दी जाने वाली दंड की मात्रा पर विचार करते समय, मुख्य विचारों में से एक निवारक होना चाहिए। विद्वान अति.लो.अभि. का कहना है कि **पंजाब राज्य बनाम बलविंदर सिंह व अन्य, (2012) 2 एससीसी 182** में सर्वोच्च न्यायालय ने **दलबीर सिंह (पूर्वोक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार का समर्थन किया तथा दंड की मात्रा पर विचार करते समय दोहराया कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मृत्यु या चोट पहुंचाने वाले अपराध के लिए लगाए गए अपराधों में प्रमुख विचारों में से एक निवारक होना चाहिए तथा मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को यह सोचकर जोखिम नहीं लेना चाहिए कि भले ही उन्हें दोषी ठहराया गया हो, न्यायालय द्वारा उनके साथ नरमी से निपटा जाएगा। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायालय दंडादेश पारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं था क्योंकि यह प्रावधान भा.दं.सं. की धारा 304क के तहत अपराध से जुड़े मामले पर लागू नहीं होता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता

को विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।

11. जहां तक अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत आवेदन का संबंध है, राज्य का तर्क यह है कि आवेदन अभी भी लंबित है तथा खारिज नहीं किया गया है एवं दंडादेश पारित करने के समय सत्र न्यायालय द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। आक्षेपित आदेश यह इंगित नहीं करता है कि आवेदन पर निर्णय के बिना दंडादेश पारित किया जाएगा तथा इस प्रकार याचिकाकर्ता की इस आशय की आशंका पूरी तरह से निराधार है।

12. प्रत्युत्तर में तर्क देते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यह एक सामान्य नियम (थंब रूल) के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी मामले में, अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ भा.दं.सं. की धारा 304क के तहत अपराध हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा तथा विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी दिए गए मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर किया जाना है। इस निवेदन का समर्थन करने हेतु, विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। **केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा चंडीगढ़, के माध्यम से राज्य बनाम संजीव भल्ला व अन्य, (2015) 13 एससीसी 444** इस न्यायालय ने **राकेश सिंह बनाम राज्य, 2004 एससीसी ऑनलाइन डेल 214; पप्पन बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार), 2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 3619;** तथा **प्रमोद कुमार कुशवाहा बनाम दिल्ली राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 240,** के आप.वि.मा. 375/2024

निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 304क के तहत दंडनीय अपराध हेतु परिवीक्षा पर दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।

13. विद्वान अति.लो.अभि. की इस दलील का खंडन करते हुए कि अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत आवेदन पर दिनांक 18.01.2024 को दंडादेश पारित करते समय विद्वान न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आवेगपूर्ण रूप से दलील दी कि यह प्रक्रिया अज्ञात है तथा विधि की धारा 105 तथा अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। अधिनियम 2017 की धारा 105 में कहा गया है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, मानसिक रूग्णता का साक्ष्य पेश किया जाता है तथा दूसरे पक्षकार द्वारा चुनौती दी जाती है, न्यायालय संबंधित बोर्ड को आगे की जांच हेतु इसे संदर्भित करेगा, जो व्यक्ति की जांच के बाद, या तो स्वयं या विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से न्यायालय को अपनी राय प्रस्तुत करेगा। प्रावधान को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि जब तक बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, जो एक प्रासंगिक कारक होगा, न्यायालय दंडादेश पारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है तथा इसलिए, न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.01.2024 को दायर आवेदन पर निर्णय नहीं कर सकता है एवं उसी दिन दंड पारित नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, आवेदन पर निर्णय दंडादेश से पहले होगा।

14. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. को सुना है और उनके प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच की है।

15. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सीमित राहत विद्वान सत्र न्यायालय को एक निर्देश है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 4 और अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत दायर आवेदनों पर निर्णय लेने से पहले निर्णय ले। दंडादेश तथा इस पृष्ठभूमि में, दिनांक 05.01.2024 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उपरोक्त दो आवेदनों पर निर्णय के बिना, मामले को दिनांक 18.01.2024 को दोपहर 02:00 बजे दंडादेश हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए न्यायालय के समक्ष पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता के स्पष्ट रुख को देखते हुए, दंडादेश के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सत्र न्यायालय द्वारा 2017 अधिनियम की धारा 105 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(ध) के तहत परिभाषित मानसिक रूग्णता से पीड़ित है तथा अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें मामले को उक्त अधिनियम के तहत गठित बोर्ड को संदर्भित करने की मांग की गई है।

16. आगे बढ़ने से पहले, **रविंदर कुमार धारीवाल अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, (2023) 2 एससीसी 209**, में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की ओर

संकेत करना उपयोगी एवं प्रासंगिक होगा। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम 2017 मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख का एक अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान करता है तथा पहले के अधिनियमों के विपरीत वास्तव में परिवर्तनकारी क्षमता है। प्रासंगिक मार्ग इस प्रकार हैं:-

"ग.2.1. भारतीय विधिक ढांचा

60. भारतीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-2016 (प्रसार, पैटर्न एवं परिणाम), भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के सहयोग से किया गया एक अध्ययन था। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 150 मिलियन व्यक्ति एक या अधिक मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 पागल व्यक्तियों के उपचार और देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया था। धारा 3(5) में "पागल" को एक बेवकूफ या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम पागलखानों में पागलों के उपचार एवं ऐसे व्यक्तियों के "उपचार" की प्रक्रिया से संबंधित था। अधिनियम इस आधार पर आगे बढ़ा कि "पागल" समाज और ग्रह पर रहने वाले साथी मनुष्यों की भलाई के लिए खतरनाक हैं। अधिनियम की धारा 13 पुलिस अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है जिनके पास उनके "पागल" होने का विश्वास करने का कारण है।

61. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 ("1987 अधिनियम") अधिनियमित किया गया था, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, "मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और देखभाल से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए, उनकी संपत्ति और मामलों के संबंध में बेहतर प्रावधान करने के लिए" इस अधिनियम ने भारतीय पागलपन अधिनियम को बदल दिया। अधिनियम 1987 पागलपन अधिनियम से एक बड़ी परिवर्तनकारी छलांग थी जिसने मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों को

गरिमा का जीवन जीने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया था। हालांकि, यहां तक कि अधिनियम 1987 ने भी मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों को कोई एजेंसी या व्यक्तित्व प्रदान नहीं किया। अधिनियम ने मानसिक विकलांगता के लिए एक अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान नहीं किया था, बल्कि केवल मनोरोग अस्पतालों और मनोरोग नर्सिंग होम की स्थापना और ऐसे प्रतिष्ठानों की प्रशासनिक अनिवार्यताओं तक ही सीमित था। अधिनियम के तहत, "मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति" को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था "जिसे मानसिक मंदता के अलावा किसी अन्य मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता है"।

62. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 ("अधिनियम 2017") सीआरपीडी के तहत भारत के दायित्वों के अनुसरण में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, 1987 अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(ध) "मानसिक रुग्णता" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

"2.(1)(ध) "मानसिक रुग्णता" से चिन्तन, मनःस्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है:

63. अधिनियम की धारा 2(1)(ण) "मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण और निदान तथा ऐसे व्यक्ति का, उसकी किसी मानसिक रुग्णता या आशंकित मानसिक रुग्णता के लिए उपचार और देख-रेख तथा पुनर्वास भी है;

"2. (1)(ण) "मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख" में किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उपचार के साथ-साथ उसकी मानसिक रूग्णता या संदिग्ध मानसिक रूग्णता के लिए ऐसे व्यक्ति की देख-रेख और पुनर्वास का विश्लेषण और निदान शामिल है;

XXX

XXX

XXX

65. अधिनियम 2017 मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख का एक अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान करता है और इसमें वास्तव में परिवर्तनकारी क्षमता है। अधिनियम 1985 के प्रावधानों से बिल्कुल भिन्न, अधिनियम 2017 के प्रावधान मानसिक रूग्णता से पीड़ित व्यक्तियों की उपचार, भर्ती और व्यक्तिगत सहायता पर निर्णय और विकल्प लेने की विधिक क्षमता को मान्यता देते हैं। धारा 2(1)(ण) में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख की परिभाषा में शामिल हैं - निदान, उपचार एवं पुनर्वास। अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि मानसिक रूग्णता से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला "माना" जाएगा यदि वे प्रासंगिक जानकारी एवं अपने निर्णय के उचित पूर्वानुमानित परिणाम को समझने में सक्षम हैं। धारा 4 की उपधारा (3) में कहा गया है कि केवल इसलिए कि व्यक्ति का निर्णय "अन्य" द्वारा अनुचित या गलत माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। मानसिक रूग्णता से पीड़ित व्यक्तियों की सूचित विकल्प चुनने की क्षमता की पहचान उनकी एजेंसी को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सीआरपीडी के अनुच्छेद 12 के अनुसरण में है जो एक स्थानापन्न निर्णय लेने वाले रूप से समर्थित निर्णय लेने पर आधारित रूप में बदल जाता है।

(जोर दिया गया)

XXX

XXX

XXX

68. भारतीय मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विमर्श में एक महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील बदलाव आया है। मानसिक रूग्णता से पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के तहत "पागल" माना जाता था तथा उन्हें अपराधी घोषित कर उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता था। पागलपन

अधिनियम, 1912 के निरसन एवं अधिनियम 1987 के अधिनियमन के साथ मानसिक स्वास्थ्य विमर्श में एक धीमा बदलाव आया। हालाँकि, जब अधिनियम 2017 लागू किया गया था तब मानसिक स्वास्थ्य अधिकार ढांचे में परिवर्तन गहरा था क्योंकि इसने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्ति को अधिकार ढांचे के भीतर रखा था।

(जोर दिया गया)

17. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को निरस्त करते हुए संसद द्वारा अधिनियम 2017 अधिनियमित किया गया था, जिसे अक्टूबर, 2007 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। अधिनियम बनाने का उद्देश्य अधिनियम 2017 मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देख-रेख, उपचार एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा एवं बढ़ावा देने के लिए था और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में देखा था तथा यह एक ऐसा अधिनियम है जो परिवर्तनकारी के साथ अधिकार आधारित ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(ध) 'मानसिक रूग्णता' को इस प्रकार परिभाषित करती है: -

"2. परिभाषाएँ-(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- xxx xxx xxx xxx

(ध) "मानसिक रूग्णता" से चिन्तन, मनःस्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किन्तु

इसके अन्तर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है।

18. अधिनियम 2017 का अध्याय XIII 'अन्य एजेंसियों की ज़िम्मेदारियाँ' प्रदान करता है तथा अधिनियम 2017 की धारा 105, जो अध्याय XIII में निहित है, सक्षम न्यायालय द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को निर्धारित करती है यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, मानसिक बीमारी का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का आरोप लगाया गया है, जिसे अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(ध) में अलग से परिभाषित किया गया है। ज्ञात हो कि विधानमंडल ने धारा 105 में 'करेगा' शब्द का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया है, जो विधायी उद्देश्य को इंगित करता है कि निर्धारित प्रक्रिया प्रकृति में अनिवार्य है। *अंकुर एबॉट (पूर्वोक्त)* में इस न्यायालय ने माना है कि अधिनियम 2017 की धारा 105 का उद्देश्य केवल कथित मानसिक रूग्णता वाले व्यक्ति के संबंध में जांच के संबंध में है तथा यह प्रावधान उसके पक्ष में एक वैधानिक अधिकार बनाता है। व्यक्ति, जो मानसिक रूग्णता होने का दावा करता है, जैसा कि अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(ध) के तहत प्रदान किया गया है। प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति सक्षम न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है, यदि ऐसा कोई दावा उसके समक्ष लंबित न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तथा इसलिए, यदि ऐसा कोई दावा किया जाता है, तो धारा का आदेश यह है कि सक्षम न्यायालय जैसा

कि धारा में दिया गया है, उसे संबंधित बोर्ड को संदर्भित करें और न्यायालय उक्त धारा के तहत उचित निर्देश देने से पहले उक्त दावे पर पूर्व निर्णय नहीं ले सकता है। 'बोर्ड' को अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(घ) में परिभाषित किया गया है और इसका मतलब धारा 73 की उप-धारा (1) के तहत राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिनियम 2017 की धारा 120 ने अधिनियम 2017 को एक अधिभावी प्रभाव दिया है, जो कि वर्तमान में लागू किसी भी अन्य विधि पर एक विशेष विधि है।

19. अधिनियम 2017 के उद्देश्यों व कारणों के विवरण एवं उसकी धारा 2(1)(घ), 105 व 120 के साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की टिप्पणियों को संयुक्त रूप से पठन पर देखा गया कि इस बात पर कोई बहस नहीं है कि धारा 105 उस व्यक्ति के पक्ष में वैधानिक अधिकार बनाती है, जो मानसिक रूग्णता से पीड़ित होने का दावा करता है, जैसा कि अधिनियम 2017 की धारा 2(1)(घ) के तहत परिभाषित है, ताकि वह अपने मामले को बोर्ड के पास भेज सके। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इसकी राय और सक्षम न्यायालय पर एक संदर्भ बनाने एवं बोर्ड से राय लेने के लिए एक परिणामी दायित्व डालता है जब उसके समक्ष ऐसा दावा किया जाता है। यह अधिनियम 2017 की धारा 105 का स्पष्ट आदेश है तथा न्यायालय द्वारा किसी अपवाद या विवेकाधिकार का विषय नहीं है। इसलिए अक्षम्य

निष्कर्ष यह है कि यदि मानसिक रूग्णता का दावा न्यायालय के समक्ष किया जाता है, चाहे मौखिक रूप से या आवेदन द्वारा, कुछ सहायक सामग्री के साथ कि व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है, तो प्रक्रिया का पालन करने हेतु सक्षम न्यायालय पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली जाती है। अधिनियम 2017 की धारा 105 में यह निर्धारित किया गया है।

20. याचिकाकर्ता की पहली दलील की जांच इस पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि वह मनोविदलता, अवसाद, मनोविकृति, उन्माद, एवं मतिभ्रम से पीड़ित है। तथा मूल्यांकन हेतु अपने मामले को बोर्ड के पास भेजने की मांग कर रहा है। याचिका के समर्थन में आवेदन के साथ मेडिकल दस्तावेज भी दाखिल किये गये थे। सत्र न्यायालय ने दिनांक 05.12.2023 को आवेदन को अभिलेख पर लिया तथा दिनांक 15.12.2023 को आंशिक दलीलें सुनीं तथा दिनांक **05.01.2024** को दोपहर **02:00** बजे दंड के प्रश्न पर आगे की बहस/विचार के लिए पेश करने का निर्देश दिया। दिनांक 05.01.2024 को, न्यायालय ने दर्ज किया कि आवेदन पर आगे की दलीलें सुनी गईं तथा राज्य की ओर से कोई दलील नहीं दी गई, हालांकि, आवेदन पर निर्णय लिये बिना, मामले को दिनांक 18.01.2024 को अपराह्न 02:00 बजे दंड के प्रश्न पर आदेश के लिए रखने का निर्देश दिया। आदेश-पत्र से, यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायालय ने अधिनियम 2017 की

धारा 105 के तहत आवेदन पर दलीलें सुनीं, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लिया गया, जो धारा 105 के स्पष्ट प्रावधान तथा भावना के विपरीत है। अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत आवेदन पर निर्णय लिये बिना सजा पर आदेश हेतु मामले को सूचीबद्ध करने के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया धारा 105 के आदेश का उल्लंघन करती है एवं इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य की दलील यह है कि आवेदन पर दंडादेश के समसामयिक दिनांक 18.01.2024 को निर्णय किया जाएगा जो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। अधिनियम 2017 की धारा 105 में मानसिक बीमारी के दावे को एक बोर्ड को संदर्भित करने की परिकल्पना की गई है, जो व्यक्ति के मामले की स्वयं या विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच करने के बाद कथित मानसिक रूग्णता का आकलन करेगा तथा न्यायालय को अपनी राय प्रस्तुत करेगा। यह राय निस्संदेह किसी दिए गए मामले में अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने सहित दंड की मात्रा तय करने के लिए एक प्रासंगिक कारक होगी। इसलिए, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से उचित तर्क दिया है, अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत आवेदन पर निर्णय दंडादेश को प्रभावित करेगा तथा इस प्रकार दंडादेश के लिए मामले को सूचीबद्ध करने से पहले आवेदन पर निर्णय सुनाया जाना आवश्यक था।

21. जहां तक अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत इस आवेदन का संबंध है, जबकि यह राज्य की दलील है कि उक्त प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं

होता है जहां अपराध भा.दं.सं. की धारा 304क के तहत है, याचिकाकर्ता आग्रह करता है कि इसे हर मामले में सामान्य नियम (थंब रूल) के रूप में नहीं माना जा सकता है। दोनों पक्षकारों ने इस संदर्भ में विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालाँकि, चूंकि इस स्तर पर, इस न्यायालय को गुणागुण के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेने हेतु नहीं बुलाया गया है तथा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई एकमात्र राहत, विद्वान सत्र न्यायालय को आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देना है। दंड पर आदेश उद्घोषित करने से पूर्व, यह न्यायालय आवेदन के गुणागुण पर विचार नहीं कर रहा है। अधिनियम 1958 की धारा 4 के प्रावधानों तथा दोनों पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, पोषणीयता एवं गुणागुण दोनों के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेना विद्वान सत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता है। यह न्यायालय फिर भी याचिकाकर्ता की दलीलों में गुणागुण पाता है कि आवेदन को अनिर्णीत नहीं छोड़ा जा सकता है तथा अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत आवेदन पर निर्णय के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

22. इसलिए, वर्तमान याचिका का निपटान सत्र न्यायालय को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम 2017 की धारा 105 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लें तथा उस पर एक आदेश पारित करें, क्योंकि दलीलें पहले ही सुनी जा चुकी हैं। इसके बाद, विद्वान न्यायालय

अधिनियम 1958 की धारा 11 सह पठित धारा 4 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा एवं दंडादेश सुनाएगा। इस प्रकार दिनांक 05.01.2024 के आक्षेपित आदेश को उस हद तक अपास्त किया जाता है जहां तक यह दंडादेश के लिए मामले को दिनांक 18.01.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने दोनों आवेदनों के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है तथा यह संबंधित न्यायालय के लिए स्वतंत्र है कि वह वर्तमान निर्णय में किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कानून के अनुसार आवेदनों पर निर्णय ले सकता है।

24. लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

ज्योति सिंह, न्या.

जनवरी 16, 2024/केकेएस/शिवम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी

स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।